न्यायालयः अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला दौसा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– रोमा भाटिया, आर.जे.एस. (यूआईडी नं.–RJ01079)
(अतिरिक्त कार्यभार)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	522/2017, पुलिस थाना बांदीकुई,
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	–	774/2017
सी.आई.एस. नंबर	–	2001/2019
सी.एन.आर. नंबर	–	RJDS070021732019

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी

बनाम

सतीशचंद पुत्र घम्मनलाल उम्र 42 साल निवासी मोरेड, थाना मानपुर, जिला दौसा ।

––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी – वास्ते राजस्थान राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्रीमती पूजा मीना – वास्ते अभियुक्त।

//निर्णय// **दिनांकः 03.06.2026**

01– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी गोविंदसहाय ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 10.10.2017 को सायंकाल करीब 05.30 बजे उसकी पुत्री रवीना ट्यूशन से पढकर घर जाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पीचूपाडा कलां में मेगा हाइवे के किनारे साइकिल लेकर खडी हुई थी तभी सिकन्दरा की तरफ से एक कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 को उसका चालक तेजगति व लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ चलाकर लाया तथा उसकी पुत्री रवीना के टक्कर मार दी जिससे उसकी पुत्री के शरीर पर गंभीर चोटें आई और पैर टूट गया तथा साइकिल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई । मौके पर मौजूद लोगों ने

उसकी पुत्री को संभालकर बांदीकुई अस्पताल पहुंचाया जहां से दौसा अस्पताल ले गए...आदि। जिस पर अभियोग संख्या 522/2017, अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त सतीश के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपर्युक्त वर्णित धाराओं का प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन–समझकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह परीक्षित व निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए:–

क्र.सं.	गवाह	पीडब्ल्यू
1.	डॉ. सुनील सोनी	पीडब्ल्यू–1
2.	किशन सिंह	पीडब्ल्यू–2
3.	मुकेश	पीडब्ल्यू–3
4.	गोविंदसहाय	पीडब्ल्यू–4
5.	रवीना	पीडब्ल्यू–5
6.	पायल	पीडब्ल्यू–6
7.	निरंजनपाल	पीडब्ल्यू–7
8.	दानसिंह	पीडब्ल्यू–8
9.	नरसीराम	पीडब्ल्यू–9
10.	बालस्वरूप	पीडब्ल्यू–10
11.	रमेशचंद	पीडब्ल्यू–11

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	चोट प्रतिवेदन रवीना	प्रदर्श पी–1

2.	एक्सरे रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3.	नक्शा मौका व एक्स रे प्लेट	प्रदर्श पी–3
4.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–4
5.	चाक एफ आई आर	प्रदर्श पी–5
6.	चाक एफ आई आर	प्रदर्श पी–6
7.	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट	प्रदर्श पी–7
8.	नोटिस अंतर्गत धारा 134 एमवी एक्ट	प्रदर्श पी–8
9.	फर्द जप्ती कार	प्रदर्श पी–9
10.	फर्द जप्ती असल कागजात	प्रदर्श पी–10
11.	मैकेनिकल मुआयना	प्रदर्श पी–11

बचाव साक्ष्यः–

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	धारा 161 के तहत पायल के बयान	प्रदर्श डी–1

04– अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गये। अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर किया एवं कथन किया कि प्रकरण में झूठा फंसाया है तथा अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया जिस पर अभियुक्त को साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर अवसर बंद किया गया।

05– बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य बिन्दु यह है किः–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांकः 10–10–2017 को समय करीब सायं 05.30 बजे वाकास्थल ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पीचूपाडा कलां में मेगा हाइवे के किनारे महिंद्रा कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर परिवादी गोविंदसहाय की पुत्री रवीना

की साइकिल के टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी की पुत्री के दाहिने पैर व शरीर में अंदरूनी चोटें कारित हुई ?''

2. यदि हां अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा?

06– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि अभियोजन के सभी गवाहान ने अपनी साक्ष्य से मामला पूर्णतया साबित किया है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित करने का निवेदन किया।

07– दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से प्रमाणित नहीं कर पाया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

08– उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने तथा संबंधित विधि का अवलोकन करने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन करते हैं तो प्रकट होता है कि गोविंदसहाय द्वारा थाना बांदीकुई में एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 10.10.2017 को शाम करीब 05.30 बजे उसकी पुत्री रवीना ट्यूशन से पढकर घर जाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पीचूपाडा कलां में मेगा हाइवे के किनारे साइकिल लेकर खडी हुई थी तथा सिकन्दरा की तरफ से एक कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 को उसका चालक तेजगति व लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ चलाकर लाया और उसकी पुत्री रवीना के टक्कर मार दी । इसी के अग्रसरण में परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में आगे यह स्पष्ट किया कि उसकी पुत्री के शरीर पर गंभीर चोटें आई और पैर टूट गया तथा साइकिल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पुत्री को संभालकर बांदीकुई अस्पताल पहुंचाया । जहां से दौसा अस्पताल ले गए तथा अभी तक उसकी पुत्री का इलाज चल रहा था और उसकी पुत्री में इलाज में व्यस्त रहने के कारण आज रिपोर्ट

करने आया है । यह जाहिर है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट में एफ आई आर 522/17 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भादंसं दर्ज की गई तथा सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात मुलजिम के विरूद्ध धारा 279, 337 ,338 भादंसं में मुलजिम सतीशचंद के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया । हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या दिनांक 10.10.2017 को मुलजिम सतीश कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 का चालक था जिसके द्वारा उक्त कार को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर परिवादी की पुत्री रवीना के टक्कर मार दी जिससे उसके साधारण और गंभीर प्रकार की चोटें आई ।

09– उक्त संदर्भ में हस्तगत प्रकरण का परिवादी गोविंदसहाय न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.10.2017 को उसकी पुत्री रवीना का वाहन संख्या आरजे–29–सीए–2122 से दुर्घटना हो गई थी। उक्त दुर्घटना में रवीना के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। गवाह ने बताया कि घटना के संबंध में उसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी, जो प्रदर्श पी–4 के रूप में अंकित है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर ए से बी तक के हस्ताक्षर उसके हैं। गवाह ने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–3 है। उक्त नक्शा मौके पर ई से एफ तक के हस्ताक्षर उसके हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान भी दर्ज किए थे। गवाह के अनुसार घटना के समय उसकी पुत्री रवीना सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी दौरान कार संख्या आरजे–29–सीए–2122 के चालक ने लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए रवीना को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई तथा उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसी संदर्भ में अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के वक्त वह मौजूद नहीं था । गवाह यह भी जाहिर करता है कि रिपोर्ट उसने लिखवाई थी तथा किसने लिखवाई उसे नहीं पता । इसी परिप्रेक्ष्य में अपने प्रतिपरीक्षण के अंत में गवाह रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे नहीं पता होना स्पष्ट करता है । अतः यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद ना होना जाहिर करते हुए रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी उसकी जानकारी ना होना जाहिर करते हुए स्पष्ट करता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है इसकी भी जानकारी उसे नहीं है ।

10– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण की मजरूबा पीडब्ल्यू–5 रवीना के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा दिनांक 10.10.2017 को समय 04.30 पीएम पर पीचूपाडा कलां से सहेली पायल के साथ अपनी–अपनी साइड से अपनी बाई तरफ आना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि तभी एक कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक ने तेजगति और लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया तथा पैर का इलाज बांदीकुई में करवाया था । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 है तथा एक्स रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली है । इसी संदर्भ में गवाह द्वारा एक्सीडेंट कार चालक की गलती से होना अपने बयानों में स्पष्ट किया है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि उस दिन वह स्कूल गई थी या नहीं उसे याद नहीं । अतः यह स्पष्ट है कि गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 10.10.2017 को कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से उसके टक्कर मारना अपने बयानों में स्पष्ट किया है ।

11– इसी संदर्भ में यदि गवाह पीडब्ल्यू–6 पायल के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा दिनांक 10.10.2017 को समय सायं 05.30 पर सिकन्दरा रोड से अपने घर साइकिल से आना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उसके साथ रवीना थी जो अलग–अलग साइकिल से अपनी साइड में आ रहे थे । इसी के अग्रसरण में गवाह ने जाहिर किया कि वे जैसे ही पंचायत समिति के सामने सडक पार कर रहे थे तो एक कार के चालक द्वारा तेजगति और लापरवाही से चलाकर रवीना को टक्कर मार दी तथा गाडी का नंबर आरजे–29–सीए–2122 है । गवाह ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि गांव वालों ने रुकवाने का प्रयास किया लेकिन वह गाडी भगाकर ले गया और रवीना के पैर में चोट आई थी तथा उसका पैर टूट गया था एवं घटना कार चालक की गलती से हुई थी । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जीप चालक अपनी दिशा में चल रहा था तथा उसके कोई चोट नहीं आई । इसके अतिरिक्त गवाह ने स्पष्ट किया कि उसने गाडी के नंबर पढे थे जो आरजे–29–सीए–2122 थे तथा जब एक्सीडेंट हुआ तब वह साइकिल नहीं चला रहे थे और उतरकर साइकिल पकडकर रोड क्रॉस कर रहे थे । अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 10.10.2017 को प्रकरण की मजरूबा रवीना के साथ पंचायत समिति के सामने सडक पार करते वक्त गाडी नंबर

आरजे–29–सीए–2122 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से रवीना को टक्कर मारना अपने बयानों में स्पष्ट किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में परिवादी द्वारा उसकी पुत्री रवीना का ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पीचूपाडा कलां में मेगा हाइवे के किनारे साइकिल लेकर खडा होना स्पष्ट किया है, वहीं मजरूबा रवीना द्वारा अपने बयानों में साइकिल से अपनी बाई तरफ आना स्पष्ट किया है । इसी परिप्रेक्ष्य में यह जाहिर है कि प्रकरण की चश्मदीद साक्षी पायल द्वारा अपने बयानों में एक्सीडेंट के वक्त चलना ना जाहिर करते हुए उतरकर साइकिल पकडकर रोड क्रॉस करना अपने बयानों में स्पष्ट किया है ।

12– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–2 किशन सिंह के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 10.10.2017 को समय करीब 05.30 पीएम पर एक्सीडेंट होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि रवीना के कार ने टक्कर मार दी थी तथा कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 ने टक्कर मारी थी जिससे रवीना का पैर टूट गया था और चालक द्वारा तेजगति और लापरवाही से टक्कर मार दी । इसके आगे गवाह द्वारा मौके पर होना जाहिर करते हुए पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया जाना और उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना स्पष्ट किया है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 10.10.2017 को कराना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि रवीना साइकिल से क्रॉस नहीं कर रही थी बल्कि साइड में खडी थी । गवाह ने यह भी जाहिर किया कि पुलिस दूसरे दिन घटनास्थल पर आई थी और रिपोर्अ पर हस्ताक्षर करवाये थे । अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में एक्सीडेंट के वक्त मौके पर मौजूद होना जाहिर करते हुए रवीना द्वारा साइकिल से क्रॉस ना करना जाहिर कर साइड में खडे होना स्पष्ट किया है ।

13– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–3 मुकेश के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 10.10.2017 को सिकन्दरा से काम करके घर आना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि पीचूपाडा में बड के पेड के नीचे खडा था और वहां पर एक कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 ने रवीना को टक्कर मार दी । इसके आगे गवाह ने स्पष्ट किया कि एक्सीडेंट कार चालक की गलती से हुआ था तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पुलिस द्वारा बनाया गया था

जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा रवीना का उसके पास में रहना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि वह घटना के 15 से 20 मिनट बाद पहुंचा था । गवाह ने यह भी जाहिर किया कि तब रवीना वहीं पर थी और रवीना रोड क्रॉस कर रही थी तथा रवीना इधर से उधर चल रही थी । अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के 15 से 20 मिनट बाद पहुंचा जाहिर करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि रवीना रोड क्रॉस कर रही थी तथा इधर से उधर चल रही थी ।

14– इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–10 बालस्वरूप के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 10.10.2017 को सतीश द्वारा उसकी मारूति ए स्टार आरजे–29–सीए–2122 को बांदीकुई बच्चे को दिखाने हेतु ले जाना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उसने आकर बताया कि एक लडकी साइकिल से चल रही थी जो गाडी से टकरा गई थी । इसी के अग्रसरण में गवाह ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर ई से एफ उसका जवाब और जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा उसकी कार की जप्ती प्रदर्श पी–9 है जिस पर ई से एफ उसके साइन है तथा दस्तावेजी की फर्द जप्ती प्रदर्श पी–10 है जिस पर सी से डी उसकी साइन है । अपने मुख्य परीक्षण के अंत में गवाह ने स्पष्ट किया कि सतीश सिकराय से बांदीकुई गया था और पीचूपाडा के आसपास एक्सीडेंट होना बताया था । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था । इसी के अग्रसरण में गवाह ने यह जाहिर किया कि सतीश उसके पडौसी गांव का है लेकिन वह उसे नहीं जानता । गवाह ने आगे यह भी जाहिर किया कि प्रदर्श पी–7 पर उसके केवल हस्ताक्षर कराए थे या लिखापढी की थी आज उसे ध्यान नहीं तथा वह देखकर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वह आज चश्मा लेकर नहीं आया । इसी संदर्भ में गवाह आगे जाहिर करता है कि सतीश मोरेड गांव का रहने वाला है जो उनके गांव से 3–4 किलोमीटर की दूरी पर है । सतीश कोई रिश्तेदार नहीं है केवल जानकार है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा इस तथ्य को नकारता है कि घटना के समय सतीश गाडी को नहीं चला रहा हो और वह चला रहा हो । गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पुलिस ने जो गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 उससे जप्त की थी वह कितनी तारीख को जप्त की थी इसकी जानकारी

उसे नहीं है तथा जब जप्ती की थी तब टूट–फूट या एक्सीडेंट के निशान नहीं थे। अपने प्रतिपरीक्षण के अंत में गवाह जाहिर करता है कि उसे याद नहीं कि जिस दिन पुलिस ने उससे गाडी जप्त की थी उससे कितने दिन पहले उसने सतीश को गाडी दी थी। अतः यह स्पष्ट है कि जहां पीडब्ल्यू–10 बालस्वरूप द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 10.10.2017 को उसकी मारूति ए स्टार आरजे–29–सीए–2122 को सतीश द्वारा चलाना स्पष्ट किया है, वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में सतीश को ना जानना स्पष्ट करते हुए इसके आगे सतीश का केवल उसका जानकार होना स्पष्ट कर मोरेड गांव का रहने वाला जाहिर किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–7 पर केवल हस्ताक्षर किए थे या लिखापढी की थी उसे याद ना होना अपने बयानों में जाहिर करते हुए प्रदर्श पी–7 पर क्या लिखा है उसे इस बात की जानकारी ना होने के विरोधाभासवी कथन किए हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा ।

15– इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण के चिकित्सक विशेषज्ञ गवाह पीडब्ल्यू–1 डॉ. सुनील सोनी के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 16.10.2017 को सीएचसी बसवा में एम ओ के पद पर कार्यरत रहना जाहिर करते हुए उस दिन थाना बांदीकुई की तहरीर पर मजरूबा रवीना के शरीर पर आई चोटों का मुआयना करना स्पष्ट किया जिसके कुल 3 चोटें आई थी जिनमें से चोट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की थी । चोट संख्या 1 बाद एक्स रे गंभीर प्रकृति की पाई गई । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर और सी से डी पहचान चिह्न होना स्पष्ट किया है तथा जाहिर किया कि एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके साइन व सी से डी उसकी राय है । एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी–3 है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि चोट आने का कोई कारण उसने नहीं बताया है तथा गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि चोट की अवधि के संबंध में उसने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 में कोई अंकन नहीं किया ।

16– प्रकरण का अन्य गवाह पीडब्ल्यू–7 निरंजनपाल चार्जशीट का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.10.2017 को वह पुलिस थाना बांदीकुई में एसएचओ के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिन परिवादी गोविन्द सहाय

द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा मुकदमा संख्या 522/17 धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया तथा अनुसंधान हेतु पत्रावली श्री दानसिंह, हैड कांस्टेबल को सुपुर्द की गई। गवाह ने बताया कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है, जिस पर सी से डी तक की कार्यवाही पुलिस की है तथा ई से एफ तक के हस्ताक्षर उसके हैं। चैक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है, जिस पर सी से डी तक के हस्ताक्षर उसके हैं। गवाह ने आगे कथन किया कि अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात मुल्जिम सतीश के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अनुसंधान पत्रावली उसे प्राप्त हुई। उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त सतीश के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। चार्जशीट पर ए से बी तक के हस्ताक्षर उसके हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने गोविंदसहाय को पहले से नहीं जानना जाहिर करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष बाद अनुसंधान पत्रावली पेश की थी ।

17– प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–9 नरसीराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 23.10.2017 को वह पीएस बांदीकुई में कानि. के पद पर पदस्थापित था जिस पर एफआईआर न. 522/17 में एक कार न. आरजे 29 सीए–2122 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–9 के जप्त किया था जिस पर ई से एफ उसके साइन है। अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि अनुसंधान अधिकारी कहां से गाडी जप्त करके लाए थे इसकी उसे जानकारी नहीं । गवाह ने एक्सीडेंट किस स्थान पर व किस तारीख को हुआ इस तथ्य की जानकारी होने से इन्कार किया ।

18– गवाह पीडब्ल्यू–11 रमेशचंद मैकेनिकल मुआयना का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29–10–2017 को वह पुलिस थाना बांदीकुई में चालक के पद पर पदस्थापित था । उस दिन एफ आई आर न. 522/17 में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा दी गयी तहरीर पर मारूति कार आरजे–29–सीए–2122 का मैकेनिकल मुआयना उसके द्वारा थाना परिसर में किया गया था। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–11 है जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट व सी से डी उसके साइन है। अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने मैकेनिकल मुआयना दिनांक 19.10.2017 को किया जाना स्पष्ट किया तथा मुआयना करते समय उसके अलावा मौके पर सिर्फ आई ओ का मौजूद होना

जाहिर किया । गवाह ने गाडी के बम्पर पर मोन होना स्पष्ट किया तथा दायी तरफ भी मोच होना स्पष्ट किया ।

19– गवाह पीडब्ल्यू–8 दानसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.10.2017 को वह पुलिस थाना बांदीकुई में हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिन एफआईआर संख्या 522/17 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। उसने बताया कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 तथा चैक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है, जो शामिल पत्रावली हैं। गवाह ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया, जो प्रदर्श पी–3 है। उक्त नक्शा मौके पर जी से एच तक के हस्ताक्षर उसके हैं। उसने गवाहों के बयान उनके कथनों के अनुसार दर्ज किए। गवाह ने बताया कि वाहन स्वामी बालस्वरूप को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस दिया गया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–7 है। उक्त फर्द पर ए से बी तक उसका नोटिस, सी से डी तक उसके हस्ताक्षर, ई से एफ तक नोटिस का जवाब तथा जी से एच तक वाहन स्वामी बालस्वरूप के हस्ताक्षर हैं। वाहन स्वामी ने अपने जवाब में घटना के समय वाहन का चालक सतीश होना बताया था। गवाह ने आगे बताया कि वाहन चालक सतीश को धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस दिया गया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–8 है। उक्त फर्द पर ए से बी तक उसका नोटिस, सी से डी तक उसके हस्ताक्षर, ई से एफ तक नोटिस का जवाब तथा जी से एच तक वाहन चालक सतीश के हस्ताक्षर हैं। गवाह ने वाहन संख्या आरजे–29–सीए–2122 को जब्त किया, जिसकी जप्ती फर्द प्रदर्श पी–9 है। उक्त फर्द पर सी से डी तक उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन के दस्तावेज प्रदर्श पी–10 हैं, जिन पर ए से बी तक उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन की मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है, जो रमेशचन्द द्वारा तैयार की गई थी तथा पत्रावली में शामिल है। गवाह ने बताया कि घायल रवीना की चोट संबंधी रिपोर्टे प्रदर्श पी–1, पी–2 एवं पी–3 हैं, जो पत्रावली में शामिल हैं। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात उसने अभियुक्त सतीश के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अनुसंधान पत्रावली थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह नक्शा मौका बनाने के लिए 15 तारीख को गया था ।

20– अतः मुलजिम पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में यदि सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी गोविंदसहाय द्वारा दिनांक 13.10.2017 को इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 थाना बांदीकुई में पेश की कि दिनांक 10.10.2017 को गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक द्वारा तेजगति और लापरवाही से उसकी पुत्री रवीना के टक्कर मार दी जिससे रवीना के पैर में चोट आई थी । यह जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी द्वारा अपने बयानों में घटना के वक्त मौके पर मौजूद ना होने के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है । इसी संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की मजरूबा रवीना द्वारा अपने बयानों में दिनांक 10.10.2017 को अपनी सहेली पायल के साथ साइकिल से अपनी बाई तरफ आना स्पष्ट करते हुए गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक द्वारा तेजगति और लापरवाही से टक्कर मारना अपने बयानों में स्पष्ट किया है । यह जाहिर है कि प्रकरण की मजरूबा द्वारा गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक के संदर्भ में कोई कथन अपने बयानों में नहीं किए हैं । इसी संदर्भ में प्रकरण की चश्मदीद साक्षी पीडब्ल्यू–6 पायल द्वारा अपने बयानों में मजरूबा के साथ दिनांक 10.10.2017 को शाम 05.30 बजे पंचायत समिति के सामने सडक पार करते हुए कार चालक आरजे–29–सीए–2122 तेजगति और लापरवाही से उसे टक्कर मारना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वह नहीं चल रहे थे और साइकिल पकडकर रोड क्रॉस कर रहे थे । यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में परिवादी द्वारा रवीना का मेगा हाइवे के किनारे साइकिल लेकर खडा होना स्पष्ट किया है, वहीं चश्मदीद साक्षी पायल द्वारा एक्सीडेंट के वक्त उसका और रवीना का साइकिल पकडकर रोड क्रॉस करना अपने बयानों में स्पष्ट करते हुए आरजे–29–सीए–2122 के चालक के संदर्भ में कोई कथन अपने बयानों में नहीं किए हैं । इसी संदर्भ में पीडब्ल्यू–2 किशन सिंह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में मौके पर होना जाहिर कर गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक द्वारा रवीना के टक्कर मारना स्पष्ट किया है, वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में अन्य चश्मदीद साक्षी पायल के कथनों के विपरीत जाकर रवीना का साइकिल क्रॉस ना करना और साइड में खडा होना अपने बयानों में स्पष्ट किया है । इसी संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू–3 मुकेश के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में घटना

के 15 से 20 मिनट बाद पहुंचना जाहिर कर इस तथ्य को स्वीकार किया कि रवीना रोड क्रॉस कर रही थी । इसी परिप्रेक्ष्य में यदि गवाह पीडब्ल्यू–10 बालस्वरूप के बयानों का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि जहां उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 10.10.2017 को सतीश द्वारा उसकी मारूति ए स्टार आरजे–29–सीए–2122 लेकर जाना स्पष्ट किया है, वहीं अपने सम्पूर्ण बयानों में गवाह द्वारा सतीश को जानने के संदर्भ मे बार–बार विरोधाभासी कथन करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस में ई से एफ उसका जवाब और जी से एच उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है, वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर प्रदर्श पी–7 पर हस्ताक्षर किए थे या लिखापढी की थी तथा उसमें क्या लिखा था इस बात की जानकारी ना होना स्पष्ट किया है । इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी स्पष्ट है कि जहां परिवादी द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 और बयानों में घटना दिनांक 10.10.2017 की होना बताया है, वहीं उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 थाना बांदीकुई में दिनांक 13.10.2017 को पेश होना जाहिर किया है तथा प्रकरण में मजरूबा का मेडिकल मुआयना दिनांक 16.10.2017 को कराया गया है । इसी संदर्भ में यदि गवाह पीडब्ल्यू–1 डॉ. सुनील सोनी के बयानों का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि गवाह द्वारा अपने बयानों में मजरूबा की चोट की अवधि के संदर्भ में कोई अंकन ना करने के तथ्यों को स्वीकार किया है । अतः यह स्पष्ट है कि डॉ. सुनील सोनी द्वारा अपने बयानों में प्रदर्श पी–1 लगायत 3 में वर्णित मजरूबा की चोटें कितनी अवधि पुरानी थी इस संदर्भ में कोई अंकन नहीं करने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इस परिप्रेक्ष्य में अपने बयानों में भी कोई कथन नहीं किया है । मुलजिम पर लगाये गए आरोपों के संदर्भ में अभियोजन को यह साबित करना था कि दिनांक 10.10.2017 को गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 का चालक मुलजिम सतीश था तथा उसके द्वारा तेजगति और लापरवाही से गाडी चलाकर रवीना के टक्कर मारी थी जिससे उसके गंभीर और साधारण प्रकृति की चोटें आई । सम्पूर्ण साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि किसी भी गवाह द्वारा अपने बयानों में गाडी नंबर आरजे–29–सीए–2122 के चालक के संदर्भ में कोई कथन नहीं किए हैं और ना ही अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह से अभियुक्त की पहचान कराई गई है । इसी संदर्भ में मारूति नंबर आरजे–29–सीए–2122 के मालिक द्वारा भी अपने

बयानों में घटना होते हुए ना देखने के तथ्यों को स्वीकार कर मुलजिम को जानने के संदर्भ में तथा धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब के संदर्भ में अपने बयानों के दौरान मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किए गए हैं । इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि जहां तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 में रवीना का साइड में खडा होना स्पष्ट किया है, वहीं रवीना द्वारा अपनी बायी तरफ आना जाहिर किया है । इसके अतिरिक्त मुकेश और पायल द्वारा क्रॉस करने जैसे विरोधाभासी कथन अपने बयानों में किए गए जिससे यह स्पष्ट है कि मजरूबा रवीना, पायल व अन्य चश्मदीद साक्षीगण द्वारा घटना के वक्त पायल और रवीना की लोकेशन के संदर्भ में विरोधाभासी कथन अपने बयानों में किए हैं । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि रवीना के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 में चोटों की अवधि का भी डॉक्टर सुनील सोनी द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया है ।

21– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन साक्षी यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांकः 10–10–2017 को महिंद्रा कार नंबर आरजे–29–सीए–2122 का चालक अभियुक्त सतीश था और उसने उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर परिवादी गोविंदसहाय की पुत्री रवीना की साइकिल के टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी की पुत्री के दाहिने पैर व शरीर में अंदरूनी चोटें कारित हुई।

22– अतः उपरोक्त विवेचन से तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सतीश को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 297, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>//आदेश//</u>

23– परिणामस्वरूप अभियुक्त सतीशचंद पुत्र घम्मनलाल उम्र 42 साल निवासी मोरेड, थाना मानपुर, जिला दौसा, को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24– अभियुक्त धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालनार्थ दस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर की राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करावे। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत व मुचलके

नियमानुसार निरस्त समझे जावे। हस्तगत प्रकरण में पूर्व में जप्तशुदा वाहन नंबर आरजे–29–सीए–2122 को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जो बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीदार के पास रहे । सुपुर्दगीदार द्वारा पूर्व में पेश सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावे।

(रोमा भाटिया)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा
(अति. कार्यभार)

25– निर्णय व आदेश आज दिनांक 03/06/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रोमा भाटिया)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा
(अति. कार्यभार)